रजिस्ट्री सं० डी (डी. एन.)-73

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 14, 1986/फाल्गुन 23, 1907
No. 60] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 14, 1986/PHALGUNA 23, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1986

सं. आर.-11012/2/84-आर. डब्ल्यु.—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I खंड 1 में प्रकाशित श्रम मंत्रालय के तारीख 11 जनवरी, 1985 के संकल्प संख्या आर.-11012/2/84-आर. डब्ल्यू. के पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जायेगा :–

5. "उक्त दल दो चरणों में अपना रिपोर्ट देगा—पहले चरण में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के बारे में और दूसरे चरण में संगठित क्षेत्र के बारे में। दोनों चरणों की रिपोर्टें डेढ़ वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिएं"।

ए. के. श्रीवास्तव, महा निदेशक (श्रम कल्याण)

MINISTRY OF LABOUR

CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th March, 1986

File No. R 11012|2|84-RW.—In the Ministry of Labour Resolution No. R. 11012|2|84-RW, dated 11-1-85 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, for para 5, the following paragraph will be inserted :—

5. "The group will submit its report in two phases, the first phase about the decentralised sector and the second phase being about the organised sector. Reports of both phases should be submitted within a period of one and half years."

A. K. SRIVASTAVA, Director-General (Labour Welfare)

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986